न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 28/2022

जी सी0एम0एस0 :–2022/472

दर्ज दिनांक 26.05.2022

निर्णय दिनांक 23.01.2023

सोहनलाल पुत्र गोपाल राम उम्र 70 वर्ष जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार तहसील गुढगौडजी जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थीगण....

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 23.01.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया का स्थायी निवासी है प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद में खाता संख्या नया 1671 के खसरा न0 157 रकबा 1.20 है0 बारानी प्रथम भूमि अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी भूमि में रिहायसी गुवाडी व पशु मवेशियो के लिये मकानात बना रखे हे। सिंचाई के लिये चाह बनाकर उसमें अपने नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा हे। ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद में खसरा न0 1202/155 रकबा 0.1900 है0 व खसरा न0 154 रकबा 0.0200 है0 भूमि अवस्थित है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 `से खसरा न0 154, 155 में से प्रार्थी ने 12 फीट चौडा रास्ता अपने हिस्सें की भूमि में से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक करीबन 165 मीटर लम्बा ई रास्ता अप्रार्थी ने खरीद लिया जिसके पेटे प्रार्थी 37000 रूपये नगद दिनांक 17.04.2021 को प्राप्त किये जिसकी लिखा पढी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पिता पूर्णमल द्वारा कि गई तब से उक्त रास्ता चालू हालत में लेकिन उक्त रास्ता सरकारी कटाण का रास्ता नही होने केकारण आये दिन उक्त रास्तें को बंद करने व रास्ते पर अतिक्रमण करने पर आमाद है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 157 में आवागमन के लिये यही एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते का निर्माण में करवाने के लिये अप्रार्थी को कहा लेकिन अप्रार्थी के मन में खोट होने के कारण उक्त रास्ते को सकडा करने पर आमादा हे। जिसके कारण प्रार्थी को काफी असुविधाएं हो रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:54 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी को ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद मे भूमि खसरा न0 157 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा न0 1202/155 व खसरा न0 154 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 165 फिट लम्बा व 12 फिट चौडा रास्ता आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदक की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 1 ने जबाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा न0 1202/55, 154 मे से कटान शुदा रास्ते की मांग मौजूद प्रार्थना में कि जबकि उक्त खसरा न0 1202/155, 154 की किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है और गैरमुमकिन आबादी में से अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधिनियम के तहत रास्ता कायम नही किया जा सकता है। खसरा न0 1202/155, 154 किस्म गैर मुमकिन आबादी होने से मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधि0 के प्रावधानो के विपरीत होने से न्यायालय को सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार कानून नही है। अन्त में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 251 क राज0 का0 अधि0 1955 के प्रावधानो के विपरीत होने तथा क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय हैं

प्रकरण में तहसीलदार गुढागौड़जी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 12.08.2022 प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया का स्थायी निवासी है प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद में खाता संख्या नया 1671 के खसरा न0 157 रकबा 1.20 है0 बारानी प्रथम भूमि अवस्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा न0 1202/155 व खसरा न0 154 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 165 फिट लम्बा व 12 फिट चौडा रास्ता आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बहस मे अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा न0 1202/55, 154 मे से कटान शुदा रास्ते की मांग मौजूद प्रार्थना में कि जबकि उक्त खसरा न0 1202/155, 154 की किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है और गैरमुमकिन आबादी में से अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधिनियम के तहत रास्ता कायम नही किया जा सकता है। खसरा न0 1202/155, 154 किस्म गैर मुमकिन आबादी होने से मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधि0 के प्रावधानो के विपरीत होने से न्यायालय को सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार कानून नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद मे भूमि खसरा न0 157 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा न0 1202/155 व खसरा न0 154 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौडा रास्ता चाहा लेकिन खसरा न0 1205/155 व 154 कि किस्म गै. मु. आबादी दर्ज रिकार्ड है जिसमें से रास्ता नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क रा0 का0 अधि0 खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक **23.01.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:54 IST
Reason: SelfAttested